



HAMIRPUR POLICE



दिनांक- 13.05.2026

प्रेस नोट

बीएनएसएस की धारा 105/107 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस लाइन्स सभागार में कार्यशाला आयोजित।

आज दिनांक 13.05.2026 को पुलिस लाइन्स सभागार, जनपद हमीरपुर में श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में श्रीमान जिलाधिकारी जनपद हमीरपुर एवं पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा 105/107 के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला में जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष एवं विवेचकगण उपस्थित रहे। कार्यशाला का उद्देश्य बी०एन०एस०एस० की उक्त धाराओं के प्रावधानों, उनके विधिक प्रयोग तथा प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करना रहा।

कार्यशाला में माननीय जनपद न्यायालय से उपस्थित अभियोजकों द्वारा धारा 105/107 बी०एन०एस०एस० के उचित एवं प्रभावी प्रयोग के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। उपस्थित अधिकारियों को विवेचना, अभियोजन एवं विधिक प्रक्रिया के दौरान इन धाराओं के समुचित उपयोग, आवश्यक दस्तावेजीकरण तथा प्रक्रिया की शुद्धता के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

